



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में 2024-25



बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2024-25 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना


मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के 'लेखे एक दृष्टि में', को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौंपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।



संतोष कुमार

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०)

बिहार, पटना

स्थान : पटना

दिनांक : 27 जनवरी 2026

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

उद्देश्य:

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

हमारे बुनियादी मूल्य :

(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक कुशलता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	8
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा/आधिव्य की प्रवृत्ति	15
अध्याय-II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	17
2.3	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	19
2.4	राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश	21
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	22
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	22
2.7	सहायता अनुदान	23
2.8	लोक ऋण	24
अध्याय-III	व्यय	
3.1	परिचय	25
3.2	राजस्व व्यय	25
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय	
4.1	व्यय का संवितरण (2024-25)	29
4.2	स्कीम व्यय	29
4.3	स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31

अध्याय-V विनियोग लेखे		
5.1	वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33
अध्याय-VI परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ		
6.1	परिसंपत्तियाँ	36
6.2	ऋण तथा देयताएँ	36
6.3	गारंटियाँ	37
अध्याय-VII अन्य विषयें		
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	39
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण	39
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	39
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	40
7.5	लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	40
7.6	सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) को निधियों का अंतरण	41
7.7	राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ तथा अंतर्निहित सब्सिडी	41
7.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	42
7.9	सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना	42
7.10	व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते में निधि का अंतरण	43
7.11	सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बीच प्राप्तियों और व्यय एवं राज्य द्वारा दिया गया ऋण तथा अग्रिम का सत्यापन	44
7.12	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	44
7.13	उचन्त लेखे शेष	45
7.14	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर व्यय	46
7.15	अप्रत्याशित और असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय	46
7.16	डीडीओ बैंक खाता में निधि का अंतरण	46
7.17	भारत सरकार लेखांकन मानक (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन	46

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय


प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आँकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। 01.04.2019 से सीएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद लोक निर्माण तथा वन प्रमंडलों के लेखों को ट्रेजरी लेखों में विलय कर दिया गया है। प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: -

भाग-1 समेकित निधि	सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेत्तर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं। सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संवितरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) इस निधि से पूरित किये जाते हैं।
भाग-2 आकस्मिक निधि	आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पूरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है। बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹350 करोड़ है।
भाग-3 लोक लेखा	लोक लेखा में ऋण से संबंधित लेनदेन (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे), 'जमा', 'अग्रिम', 'प्रेषण' और 'उचंत' को दर्ज किये जायेंगे। ऋण और जमा सरकार की देय देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अग्रिम' सरकार के प्राप्य हैं। 'प्रेषण और उचंत' लेनदेन समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिन्हे लेखे के अंतिम शीर्षों में प्रविष्टि के पश्चात अंतिम रूप से समायोजित माना जाना है।

1.2.2 लेखे का संकलन



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संचितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संचितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'वित्त लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं। खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।


केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है। वर्ष 2024-25 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹22,453 करोड़ (₹18,618 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती हैं। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2024-25 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है।

	बजट अनुमान	वास्तविकी	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (*)
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित)	1,67,312	1,83,013	109	18
2. करेतर राजस्व	7,326	5,781	79	1
3. सहायता अनुदान और अंशदान	52,160	29,863	57	3
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	2,26,798	2,18,657	96	22
5. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	439	115	26	0
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. उधार एवं अन्य दायित्व	29,095	41,223	142	4
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	29,534	41,338	140	4
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	2,56,332	2,59,995	101	26
10. राजस्व व्यय	2,25,677	2,19,015	97	22
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	20,526	21,324	104	2
12. पूँजीगत व्यय	29,415	38,527	131	4
13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	1,240	2,453	198	0
14. कुल व्यय (10+12+13)	2,56,332	2,59,995	101	26
15. राजस्व अधिशेष/घाटा (4-10)	1,121	358	32	0
16. राजकोषीय घाटा (4+5-14)	29,095	41,223	142	4

(*) 2024-25 के लिए स०रा०घ०उ० ₹9,91,997 करोड़ था।

वर्ष 2024-25 में प्राप्तियाँ और व्यय



* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 52 अनुदान/विनियोग है। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2024-25 द्वारा ₹3,64,519 करोड़ का सकल व्यय और ₹0.01 करोड़ का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹2,87,178 करोड़ और व्यय में कमी ₹3,897 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹77,375 करोड़ (21.23 प्रतिशत) हुआ। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹1,017 करोड़ सम्मिलित है।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू० एम० ए०) की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण


राज्य का राजस्व घाटा ₹357.38 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹41,222 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.04 प्रतिशत और 4.15 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 18.82 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹44,106 करोड़), लोक लेखे ₹2,643 करोड़ की कमी और आदि तथा अंत शेष के निवल ₹240.12 करोड़ से पूरित किया गया। ₹2,18,657.83 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹84,323.21 करोड़) का लगभग 38.56 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹38,475.10 करोड़), ब्याज संदाय (₹19,678.14 करोड़) तथा पेंशन (₹26,169.97 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग


(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि	
स्रोत	1 अप्रैल 2024 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	727	
	राजस्व प्राप्तियाँ	2,18,657	
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	115	
	लोक ऋण	66,049	
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,027	
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	4,380	
	जमा प्राप्तियाँ	98,409	
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	0	
	उचंत लेखा	8,39,672	
	प्रेषण	0	
	आकस्मिकता निधि	0	
		जोड़	12,30,036
	अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,19,015
पूँजीगत व्यय		38,527	
प्रदत्त ऋण		2,453	
लोक ऋण का पुनर्भुगतान		21,944	
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य		2,540	
आरक्षित तथा शोधन निधियाँ		2,733	
जमा राशि से किए गए व्यय		94,428	
प्रदत्त सिविल पेशगियाँ		0	
उचंत लेखा		8,47,429	
प्रेषण		0	
31 मार्च 2025 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष		967	
		जोड़	12,30,036

1.4.4 रुपया जहाँ से आया



1.4.5 रुपया जहाँ गया



* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं।

1.5 लेखे की विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2024-25	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	सं०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (\$)
	(₹ करोड़ में)			
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	54,300	53,578	99	5
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	1,13,012	1,29,435	115	13
3. करेतर राजस्व	7,326	5,781	79	1
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	52,160	29,863	57	3
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,26,798	2,18,657	96	22
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	439	115	26	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	29,095	41,223	142	4
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	29,534	41,338	140	4
10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)	2,56,332	2,59,995	101	26
11. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*)	1,56,313	1,47,452	94	15
12. राजस्व लेखा	1,56,086	1,47,314	94	15
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी	20,526	21,324	104	2
14. पूँजीगत लेखा	227	138	61	0
15. स्कीम व्यय (*)	1,00,019	1,12,543	113	11
16. राजस्व लेखा	69,591	71,700	103	7
17. पूँजीगत लेखा	30,428	40,843	134	4
18. कुल व्यय (11+15)	2,56,332	2,59,995	101	26
19. राजस्व व्यय (12+16)	2,25,677	2,19,015	97	22
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	30,655	40,981	134	4
21. राजस्व आधिक्य/घाटा (5-19) (@)	1,121	358	32	0
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18) (@)	29,095	41,224	142	4

(\$) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सं०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹9,91,997 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹38,527 करोड़), सवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹2,453 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹99 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹2,355 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-सवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।


(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

घाटा और आधिक्य क्या निरूपित करता है ?


घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांततः इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांततः उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

1.6 घाटा/आधिक्य की प्रवृत्ति


1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)



1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)



1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात



यह वांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णतः वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹38,527 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹66,049 करोड़) और राजस्व घाटा (₹358 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

अध्याय II


प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹2,84,822 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है।
सहायता अनुदान	मूलतः संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं।



राजस्व प्राप्ति के घटक (2024-25)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविकी
क. कर राजस्व	1,83,013
राज्य का स्व-कर राजस्व	53,578
वस्तु और सेवाकर	29,003
आय तथा व्यय पर कर	219
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	8,546
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	15,810
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	129,435
वस्तु और सेवाकर	37,803
आय तथा व्यय पर कर	83,567
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	0
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	8,064
ख. करेत्तर राजस्व	5,781
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	1,470
सामान्य सेवायें	393
समाजिक सेवायें	69
आर्थिक सेवायें	3,850
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	29,863
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	218,657

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)


	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कर राजस्व	90,203 (15)	1,26,207 (19)	1,39,528 (19)	1,61,965 (19)	1,83,013 (18)
करेत्तर राजस्व	6,201 (1)	3,984 (1)	4,135 (1)	5,257 (1)	5,781 (0.58)
सहायता अनुदान	31,764 (5)	28,606 (4)	29,025 (4)	26,125 (3)	29,863 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,28,168 (21)	1,58,797 (24)	1,72,688 (23)	1,93,347 (23)	2,18,657 (22)
स० रा० घ० उ०	6,18,628	6,75,448	7,51,396	8,54,429	9,91,997

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

यद्यपि वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.10% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 13.09% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कर राजस्व में 12.99% की वृद्धि तथा करेत्तर राजस्व में 9.97% की वृद्धि हुई। करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई:

- 'अन्य प्रशासनिक सेवायें' (₹151 करोड़),
- 'शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति' (₹8 करोड़),
- 'शहरी विकास' (₹2 करोड़),
- 'वृहद् सिंचाई' (₹102 करोड़), तथा
- 'लघु सिंचाई' (₹8 करोड़)।

इसके अलावा वर्ष 2024-25 में शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति तथा 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत संग्रहण क्रमशः ₹8 करोड़ तथा ₹30 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2023-24 में इनके विरुद्ध संग्रहण क्रमशः ₹4 करोड़ तथा ₹5 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत 'स्टाम्प तथा पंजीकरण' (₹7,976 करोड़) और 'वाहनों पर कर' (₹3,678 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।




खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वस्तु और सेवाकर	33,839	44,706	50,232	62,155	66,806
आय तथा व्यय पर कर	36,705	53,981	63,438	73,659	83,786
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,508	5,515	6,812	6,928	8,546
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	15,151	22,005	19,046	19,223	23,875
कुल-कर राजस्व	90,203	1,26,207	1,39,528	1,61,965	1,83,013

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः 'वस्तु और सेवाकर' (₹66,806 करोड़), 'निगमकर' (₹36,728 करोड़), 'आय पर निगमकर से भिन्न कर' (₹46,839 करोड़), 'आय और व्यय पर अन्य कर' (₹218 करोड़), 'सीमा शुल्क' (₹6,585 करोड़) तथा 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क' (₹1,267 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।



2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश		राज्य का स्व-कर राजस्व	
		राशि	स० रा० घ० उ०* की प्रतिशतता	राशि	स० रा० घ० उ०* की प्रतिशतता
2020 - 21	90,203	59,861	9.68%	30,342	4.90%
2021 - 22	1,26,207	91,353	13.52%	34,854	5.16%
2022 - 23	1,39,528	95,510	12.71%	44,018	5.86%
2023 - 24	1,61,965	1,13,604	13.30%	48,361	5.66%
2024-25	1,83,012	1,29,434	13.04%	53,578	5.40%

(*) 2024-25 के लिए स० रा० घ० उ० ₹9,91,997 करोड़ था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष “संघीय करों का राज्यांश” 2020-21 के 9.68% से बढ़कर 2024-25 में 13.04% हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष “राज्य के स्व-कर राजस्व” 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गया है।

2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

कर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री और व्यापार आदि पर कर	6,031	6,872	9,881	9,371	10,554
राज्य वस्तु और सेवाकर	16,050	19,264	23,243	27,678	29,003
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,206	5,224	6,451	6,348	7,976
माल तथा यात्रीकर	6	(-1)	1	(-1)	8
वाहनकर	2,268	2,475	2,935	3,358	3,678
भू-राजस्व	302	284	361	580	571
आय तथा व्यय पर अन्य कर	126	141	156	180	219
राज्य उत्पाद शुल्क	(-4)	(-1)	1	1	0.04
अन्य	1,357	596	989	846	1,569
राज्य का कुल स्व-कर	30,342	34,854	44,018	48,361	53,578

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. वस्तु और सेवाकर

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व संग्रहण	33,839	44,706	50,232	62,155	66,806
संग्रहण पर व्यय	131	133	142	167	179
कर संग्रहण की दक्षता	0.39%	0.30%	0.28%	0.27%	0.27%

ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व संग्रहण	4,509	5,515	6,812	6,928	8,546
संग्रहण पर व्यय	704	847	1,012	1,227	1,465
कर संग्रहण की दक्षता	16%	15%	15%	15%	17%

ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व संग्रहण	15,150	22,005	19,046	19,223	23,874
संग्रहण पर व्यय	324	348	563	651	667
कर संग्रहण की दक्षता	2.14%	1.58%	2.96%	3.39%	2.79%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।

2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वस्तु और सेवाकर	17,789	25,442	26,989	34,478	37,803
निगमकर	18,062	27,179	32,020	34,099	36,728
निगमकर से भिन्न आय पर कर	18,517	26,661	31,262	39,380	46,839
संपत्ति कर	0	7	0	0	0
सीमा शुल्क	3,180	6,776	3,755	3,981	6,585

संघ उत्पाद शुल्क	2,012	3,869	1,178	1,506	1,267
सेवाकर	258	1,326	149	21	4
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	43	93	157	139	208
संघीय करों का राज्यांश	59,861	91,353	95,510	1,13,604	1,29,435
कुल राजस्व कर	90,203	1,26,207	1,39,528	1,61,965	1,83,013
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	66	72	68	70	71
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत	10	14	13	13	13

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹29,863 करोड़ थी, जो निम्नवत है:-



सहायता अनुदान वर्ष 2023-24 के तुलना में 2024-25 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹52,161 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹29,863 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 57 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण


लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते हैं।

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंतरिक ऋण	23,475	23,297	25,243	28,107	28,937
केन्द्रीय कर्ज	5,559	8,400	8,690	9,131	15,169
कुल लोक ऋण	29,035	31,697	33,933	37,238	44,105

(₹ करोड़ में)

2024-25 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹49,549 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹16,500 करोड़ के जोड़ के विरुद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹38,527 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।



अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूँजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

सामान्य सेवायें	सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
समाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व व्यय ₹2,19,015 करोड़ बजट अनुमान (₹2,25,677 करोड़) से ₹6,662 करोड़ कम था। वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सं०रा०घ०उ०) का 22 प्रतिशत था। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्यय में कमी निम्नवत है:-

	(₹ करोड़ में)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट अनुमान	1,64,751	1,77,071	1,91,957	2,07,848	2,25,677
वास्तविक व्यय	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514	2,19,015
अन्तर	25,258	17,851	7,981	17,334	6,662
बजट अनुमान से अंतर का %	15	10	4	8	3

राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 3 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।


3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2024-25)

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क. सामान्य सेवायें	69,246	32
ख. सामाजिक सेवायें	1,00,948	46
ग. आर्थिक सेवायें	48,821	22
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	-	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	2,19,015	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2020-25)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	सामाजिक सेवायें	63,808	76,115	88,349	83,225	1,00,948
2.	आर्थिक सेवायें	29,445	34,166	39,598	48,071	48,821
3.	सामान्य सेवायें*	33,946	35,117	42,207	44,034	47,922
4.	ऋण सेवायें	12,484	13,822	13,822	15,184	21,324
	कुल	1,39,683	1,59,220	1,83,976	1,90,514	2,19,015



*सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3 पूँजीगत व्यय

2024-25 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹62,924 करोड़ था जो जीएसडीपी का 6.34 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान (₹53,049 करोड़) से ₹9,875 करोड़ अधिक था।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹3,471 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹2,594 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹877 करोड़), बाढ़ नियंत्रण पर ₹1,517 करोड़, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹1,108 करोड़ और बिजली परियोजनाओं पर ₹2,944 करोड़ रुपये व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹4,152 करोड़ निवेश किया गया।


क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1.	सामान्य सेवायें-पुलिस, भू-राजस्व आदि।	5,028	12
2.	समाजिक सेवायें-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	8,685	21
3.	आर्थिक सेवायें- कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	24,814	61
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2,453	6
	कुल	40,980	100

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	सामान्य सेवायें	1,387	3,507	3,255	5,664	5,028
2.	समाजिक सेवायें	6,332	5,154	5,967	7,001	8,685
3.	आर्थिक सेवायें	10,491	15,017	22,298	23,788	24,814
4.	ऋण तथा अग्रिम	1,113	1,479	2,057	2,136	2,453
	कुल	19,323	25,157	33,577	38,589	40,980

पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार रूझान




अध्याय IV

स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय

4.1 व्यय का संवितरण (2024-25)


(₹ करोड़ में)

	वास्तविक व्यय
स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	1,12,542
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	1,47,452



4.2 स्कीम व्यय

2024-25 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹1,12,542 करोड़ था जो कुल व्यय ₹2,59,995 करोड़ का 43 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अन्तर्गत ₹59,513 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹50,699 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ₹(-)25 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹2,355 करोड़ सम्मिलित हैं।




4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल पूँजीगत व्यय	19,323	25,157	33,577	38,589	40,980
पूँजीगत व्यय (योजना)	19,204	24,811	33,424	38,369	40,843
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (योजना) का प्रतिशत	99	99	99	99	99


4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

2024-25 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹1,47,452 करोड़ था, कुल व्यय ₹2,59,995 करोड़ का 57 प्रतिशत था। इसमें राजस्व के अंतर्गत ₹1,47,315 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹39 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹99 करोड़ सम्मिलित हैं।



4.4 वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)



(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वचनबद्ध व्यय	53,998	57,677	63,143	70,313	84,323
राजस्व व्यय	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514	2,19,015
राजस्व प्राप्तियाँ	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347	2,18,657
वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति के रूप में	42	36	37	36	39
वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में	39	36	34	37	39

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिक व्यय(+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	2,07,343	62,198	8,075	2,69,541	2,00,800	(-)68,741
	प्रभारित	22,600	138	0	22,738	21,846	(-)892
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	29,416	17,909	2,269	47,325	39,880	(-)7,445
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	22,393	0	0	22,393	21,944	(-)449
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	1,240	1,281	43	2,521	2,453	(-)68
	कुल	2,82,992	81,526	10,387	3,64,518	2,86,922	(-)77,596

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2020-21	(-)51,842	(-)24,977	(-)173	(-)615	(-)77,607
2021-22	(-)53,857	(-)16,848	(-)348	(-)141	(-)71,194
2022-23	(-)51,724	(-)14,433	(-)319	(-)35	(-)66,511
2023-24	(-)57,976	(-)6,682	(-)580	(-)236	(-)65,474
2024-25	(-)69,634	(-)7,445	(-)449	(-)68	(-)77,596

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत हैं:-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
01	कृषि विभाग	56%	53%	41%	46%	45%
04	मंत्री मंडल सचिवालय विभाग	64%	25%	69%	49%	42%
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	57%	45%	32%	54%	46%
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	76%	4%	18%	32%	12%
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	68%	41%	43%	34%	17%
20	स्वास्थ्य विभाग	31%	34%	42%	33%	35%
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	38%	54%	23%	37%	34%
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	55%	52%	71%	59%	27%
31	संसदीय कार्य विभाग	0%	69%	78%	78%	75%
37	ग्रामीण कार्य विभाग	55%	45%	32%	33%	9%
38	मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग	36%	27%	15%	38%	29%
39	आपदा प्रबंधन विभाग	28%	33%	36%	47%	57%
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	53%	40%	39%	36%	34%
42	ग्रामीण विकास विभाग	48%	40%	15%	53%	38%
45	गन्ना उद्योग विभाग	61%	68%	74%	49%	36%
47	परिवहन विभाग	47%	53%	46%	44%	62%
52	खेल विभाग	0%	0%	0%	42%	31%

2024-25 के दौरान कुल ₹81,526 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 28.41 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
01	कृषि विभाग	राजस्व	3,371	537	2,164
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,631	311	1,240
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	318	62	246
07	निगरानी विभाग	राजस्व	46	3	44
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	260	12	148
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,192	151	1,096
		पूँजी	17	11	26
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,966	123	2,001
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	238	0.26	179
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	812	268	857
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	14,268	4,963	12,491
22	गृह विभाग	राजस्व	15,777	462	13,190
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	128	98	154
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	992	152	968
		पूँजी	234	9	243
28	बिहार उच्च न्यायालय	राजस्व	249	75	302
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	63	63	45
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	305	45	279
32	विधानमंडल	राजस्व	284	36	276
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	1025	91	831
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	601	193	443
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूँजी	902	179	939

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूँजी	7,369	618	6,865
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	667	12	478
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	9,443	105	4,085
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	1,850	891	1,833
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	14,247	4,162	11,342
43	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	722	60	657
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,802	165	1,602
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	124	24	95
47	परिवहन विभाग	राजस्व	439	170	237
		पूँजी	12	22	6
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	246	96	305

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होनेवाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2024-25 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹45,665 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹3.34 करोड़ (अर्थात् 0.007 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश में ₹4152 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में वर्ष 2023-24 (₹9.51 करोड़)की तुलना में ₹6.17 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹27,489 करोड़ था तथा जो मार्च 2025 के अंत में बढ़कर ₹40,100 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	संरा०घ०उ० का प्रतिशतता	लोक लेखे (*)	संरा०घ०उ० का प्रतिशतता	कुल देयताएँ	संरा०घ०उ० का प्रतिशतता
2020-21	1,77,215	29	49,981	8	2,27,196	37
2021-22	2,08,913	31	48,597	7	2,57,510	38
2022-23	2,42,846	32	50,461	7	2,93,307	39
2023-24	2,72,256	32	52,657	6	3,24,913	38
2024-25	3,16,362	32	57,772	6	3,74,133	38

(*) उच्चत तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।


नोट 1 : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

2 : भारत के सार्वजनिक खाते में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से भारत सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में ₹7,827.52 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रोफार्मा समायोजन।

2023-24 (₹3,24,913 करोड़) की तुलना में 2024-25 (₹3,74,133 करोड़) के अंत तक लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹49,220 करोड़ (13 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

(₹ करोड़ में)

सरकार की देयताओं का रूझान				
वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	अल्प बचत तथा भविष्य निधियाँ	अन्य दायित्व (*)
2020-21	1,59,557	17,657	9,445	40,536
2021-22	1,82,855	26,058	9,517	39,075
2022-23	2,08,098	34,748	9,397	41,065
2023-24	2,36,205	43,879	9,141	43,516
2024-25	2,65,142	51,220	8,628	49,144



(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदित निधियाँ इत्यादि।

6.3 गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2020-21	24,972	16,080	328
2021-22	37,317	24,655	415
2022-23	40,317	25,257	683
2023-24	50,425	26,715	1,326
2024-25	50,425	24227	144

अध्याय VII

अन्य विषयें

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2025 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹2,65,142 करोड़ शेष है।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण

31 मार्च 2025 तक 23 विभागों (33 ऋणदाता संस्थाओं) से संबंधित ₹13,379.55 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, वर्ष 2014 से लंबित ऋणों सहित पिछले कई वर्षों के दौरान मूलधन की वसूली नहीं की गई है।

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं के ₹2,354.57 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम और शर्तों का निपटान नहीं किया गया है (विस्तृत विवरण वित्त लेखे खण्ड-II की विवरणी 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में हैं)। परिणामतः, इस संबंध में राज्य सरकार की प्राप्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय वार्षिक रूप से ऋण शेषों (जहाँ इनके द्वारा विस्तृत खातों का रखरखाव किया जाता है) का सत्यापन और स्वीकृति के लिए संस्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करते हैं। 34 विभागों/ऋणदाताओं में केवल 01 ने शेष राशियों की पुष्टि की है। ऋण शेष से संबंधित विवरण विभागीय अधिकारियों से मिलान हेतु प्रतीक्षित थे (वित्त लेखे, खण्ड-II के परिशिष्ट-VII)।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2020-21 में ₹54,929 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹79,951 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 29 प्रतिशत (₹23,509 करोड़) जिलापरिषदों, नगरपालिकाओं/ नगरनिगमों/ परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद्	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2020-21	1,760	4,784	11,139	37,246	54,929
2021-22	3,279	5,383	9,989	46,364	65,015
2022-23	2,859	4,991	11,615	60,476	79,941
2023-24	3,323	6,952	13,432	53,893	77,600
2024-25	2,516	8,035	12,957	56,443	79,951

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्वशिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2024 को	31 मार्च 2025 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	727	967	240
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	26,762	39,133	12,371
अन्य रोकड़ शेष			
(क) विभागीय शेष	233	233	0
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	766	765	(-1)
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	8,495	10,141	1,646
(क) निपेक्ष निधि	0	0	0
(ख) गारंटी उन्मोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
* प्राप्त ब्याज	264	913	649

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2024-25 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 246 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

ये लेखे बिहार सरकार के लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के आधार पर संकलित किया गया है। 620 लोक निर्माण कार्य प्रभागों यथा भवन निर्माण (63), पथ निर्माण (79),

जल संसाधन (245), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (58), योजना एवं विकास (पंचायती राज) (57), ग्रामीण कार्य (118) एवं 49 वन प्रमण्डलों के लेनदेन कोषागार लेखा में शामिल किये गये हैं। वर्ष की समाप्ति पर कोई भी लेखा विलोपित नहीं किया गया है।

7.6 सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) को निधियों का अंतरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत धन जारी करने और सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए एसएनए की स्थापना अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसके बैंक खाते के साथ की जाती है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रांश के साथ-साथ राज्यांश को भी केंद्रांश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एसएनए खाते में अंतरित करना होता है। एसएनए खाते में केंद्रांश के अंतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर, राज्य सरकार को 01-04-2023 से 7% प्रति वर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

पीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार (एसएनए-01 रिपोर्ट), राज्य सरकार को वर्ष के दौरान, कोषागार खातों में केंद्रांश के रूप में ₹20,772.99 करोड़ प्राप्त हुआ। पीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार ने ₹20,331.70 करोड़ केन्द्रांश, ₹14,500.58 करोड़ राज्यांश तथा ₹294.13 करोड़ टॉप-अप अंतरित किए गए। इस प्रकार कुल अंतरित राशि ₹35,126.41 करोड़ है। एसएनए को केन्द्रांश के ₹441.29 करोड़ का कम अंतरण हुआ, जो इस सीमा तक नकद शेष को अतिदर्शित बताता है।

पीएफएमएस (एसएनए-01 रिपोर्ट) के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹12,760.66 करोड़ की राशि बिना खर्च किये पड़े थे।

7.7 राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ तथा अंतर्निहित सब्सिडी

ऑफ-बजट उधार उस सीमा तक सरकार का भार है जहाँ तक मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताएँ नहीं दर्शायी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी प्रकार की ऑफ-बजट देयतायें की घोषणा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, को नहीं की है।


वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऑफ-बजट देयतायें के मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज भुगतान हेतु कुल ₹368.96 करोड़ की सहायता/अनुदान प्रदान की गई, जिसमें ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना (GTSNY) के लिए बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को ₹161.53 करोड़, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को ₹203.60 करोड़, तथा बिहार राज्य भंडारण निगम को ₹3.83 करोड़ शामिल हैं।

ऑफ-बजट उधार के अलावा, लागत की वसूली न होने के कारण बिजली कंपनियों को ₹15,342.96 करोड़ की सब्सिडी भी उसी वर्ष प्रदान की गई। वर्ष 2024-25 के दौरान कोई गारंटी विलोपित नहीं की गई है।

7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 177 में यह निर्देशित है कि मांग के पूर्वानुमान अथवा बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोई धन कोषागार से नहीं निकाला जाना चाहिए। आकस्मिक परिस्थिति में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 194 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस माह में कोषागार से अग्रिम लिया गया था, उसके पूरा होने से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1,016.95 करोड़ के कुल 2,038 ए.सी. विपत्रों में से मार्च 2025 में ₹679.36 करोड़ (66.80 प्रतिशत) की राशि की निकासी 1,366 ए.सी. विपत्रों द्वारा की गयी। 31 मार्च 2025 तक समायोजन हेतु देय ₹10,361.74 करोड़ (पूँजीगत व्यय हेतु ₹5,513.69 करोड़ शामिल) की राशि के कुल 19,487 ए.सी. बिलों के संबंध में डी.सी. बिल प्राप्त नहीं हुए थे। समायोजन हेतु देय असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:




7.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 271 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदानग्राही को अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 18 महीने के अंदर या उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, अनुदान संस्वीकृत करने

वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का जोखिम है कि वित्त लेखे में उल्लेखित राशि संभवतः लाभार्थियों तक नहीं पहुँची थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए 71,968 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹1,31,361.32 करोड़ की राशि देय थी। इनमें से 9,336 बकाया यूसी से संबंधित ₹39,228.57 करोड़ का समायोजन किया गया। 31 मार्च 2025 तक बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:



उपर्युक्त वर्णित वर्ष 'लंबित वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्।

नोट: देय तिथि के बाद और देय तिथि से पहले क्रमशः ₹35,016.13 करोड़ और ₹12,434.54 करोड़ की राशि आंशिक रूप से समायोजित की गई है।

7.10 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते में निधि का अंतरण

नामित आहरण अधिकारी किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पी.डी. खाते से व्यय करने हेतु सक्षम है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की समेकित निधि से ₹1,686.66 करोड़ की राशि पीडी खातों में अंतरित की गयी। इसमें मार्च 2025 में अंतरित ₹644.07 करोड़ शामिल है। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने अधिसूचना दिनांक 03.06.2020 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 01.04.2019 से पहले के सभी पीडी खाते 01.04.2019 को प्रणाली अंतर्गत स्वतः खुले माने जाने हैं तथा 'पाँच अनुवर्ती वित्तीय वर्षों बाद' अव्ययित राशि समेकित निधि के संबंधित शीर्षों में वापस अंतरित की जानी चाहिए। सीएफएमएस 1.0 के अनुसार 30.11.2024 तक ₹141.13 करोड़ की राशि व्ययगत हो चुकी है।

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 353 के अनुसार, 252 पीडी खातों में से 16 पीडी खातों के प्रशासकों ने कोषागार आँकड़ों के साथ अपने शेषों का मिलान तथा सत्यापन कर लिया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोषागार अधिकारियों से 16 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। 31 मार्च 2025 तक पी.डी. खातों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
आदि शेष	252	2,180.46
सीएफएमएस में माईग्रेट नहीं किये गये	4	1.54
वर्ष के दौरान प्राप्ति	0	1,686.66
वर्ष के दौरान भुगतान	0	1,207.55
अंत शेष	252	2,659.57

7.11 सीसीओ और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बीच प्राप्तियों और व्यय एवं राज्य द्वारा दिया गया ऋण तथा अग्रिम का सत्यापन

सभी नियंत्रि अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार द्वारा लेखाकृत आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹2,62,826.85 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹2,84,822.33 करोड़ का 92.28 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों तथा ₹91,750.78 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹2,19,015.21 करोड़ का 41.89 प्रतिशत) के कुल राजस्व व्यय एवं ₹12,090.71 करोड़ (कुल पूँजीगत व्यय ₹38,527.04 करोड़ का 31.38 प्रतिशत) के कुल पूँजीगत व्यय का मिलान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम राशि ₹21,465.99 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिम एवं लोकऋण ₹24,397.05 करोड़ का 87.99 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

इसकी तुलना में, पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹2,53,602.34 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹2,53,660.71 करोड़ का 99.98 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों तथा ₹1,88,201.26 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹1,90,514.17 करोड़ का 98.79 प्रतिशत) के कुल राजस्व व्यय एवं ₹36,364.75 करोड़ (कुल पूँजीगत व्यय ₹36,453.02 करोड़ का 99.76 प्रतिशत) के कुल पूँजीगत व्यय का मिलान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम राशि ₹2,135.86 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिम का 100.00 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

7.12 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

01/09/2005 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं, जो परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। पूरी राशि को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित करना होता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, एनपीएस में अंतरित कुल अंशदान राशि ₹5,636.95 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹2,348.73 करोड़ और सरकार का योगदान ₹3,288.22


करोड़) को मुख्य शीर्ष- 8342-117- परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखे में अंतरित किया जाना आवश्यक था। सरकार ने एनपीएस में ₹5,630.67 करोड़ अंतरित किए। सरकार का अंशदान ₹6.28 करोड़ कम था।

सरकार ने एनएसडीएल को ₹4,340.10 करोड़ अंतरित किये जिसमे 31 मार्च, 2025 तक ₹1,300.81 करोड़ की राशि का शेष रह गया है, जिसे अभी एनएसडीएल को अंतरित किया जाना है।

2020-21 से पहले, सरकार और कर्मचारियों का योगदान मुख्य शीर्ष 8011-106 में जमा किया गया था। 31 मार्च, 2025 को इस शीर्ष के अंतर्गत अंत शेष ₹40.56 करोड़ थी, जिसे एनएसडीएल को अंतरित किया जाना है। ₹1,341.37 करोड़ (₹1,300.81 करोड़ + ₹40.56 करोड़) का अंतरित न किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार का नकदी शेष उस सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

7.13 उच्चत लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उच्चत लेखे खातों में शेष 2020-21 के ₹15,377.65 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹2,064.28 करोड़ हो गया।



पिछले पाँच वर्षों के उच्चत खातों के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

उच्चत लेखे	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चत	313.90	365.08	360.73	310.07	313.04
उच्चत लेखा (सिविल)	14,527.78	14,785.91	13,832.20	4,872.12	1,121.50
नकद परिनिर्धारण उच्चत लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उच्चत (मुख्यालय)	262.63	261.72	257.40	3.33	(-)12.16
रिजर्व बैंक उच्चत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	605.60	354.98	358.26	355.51	640.30
विभागीय समायोजन लेखा	104.41	104.41	104.41	104.41	104.41

उच्च लेखे	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उच्च	464.67	284.44	525.39	62.88	82.15
सामग्री क्रय परिनिर्धारण उच्च लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

7.14 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान, 31 मार्च 2025 तक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय ₹50,674.30 करोड़ [राजस्व व्यय (₹46,700.27 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹3,974.03 करोड़)] है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता (₹22,298.28 करोड़) और राज्यांश (₹28,376.02 करोड़) में से व्यय शामिल है।

7.15 अप्रत्याशित और असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान, बिहार सरकार ने राहत और सहायता के लिए राजस्व व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं (उदाहरण के लिए बाढ़ महामारी आदि) से संबंधित राहत उपायों पर ₹876.21 करोड़ (पिछले वर्ष 2023-24 में ₹674.88 करोड़) खर्च किए।

सरकार ने इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार से ₹1,311.20 करोड़ प्राप्त किये, जो सहायता अनुदान/केन्द्रीय सहायता आदि हैं, जिनका लेखा मुख्य शीर्ष-1601 और 8121 के अंतर्गत किया गया है।

7.16 डीडीओ बैंक खाता में निधि का अंतरण

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार, सरकारी कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि उसे तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक न हो। 52 अनुदानों में से 4 अनुदानों के डीडीओ ने अपने बैंक खाते में धनराशि अंतरित करने से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

मांग संख्या	2024-25 के दौरान राशि का अंतरण	2024-25 के दौरान कुल अंतरित राशि में से व्यय	31 मार्च 2025 तक अव्ययित राशि
26	0.64	0.26	0.38
32	0.15	0.15	0.00
34	10.74	9.49	1.25
45	47.76	31.52	16.24

7.17 भारत सरकार लेखांकन मानक (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से जो निर्णय लेने और सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) ने लेखांकन की नकद प्रणाली के लिए भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएस) तैयार किया है। आईजीएस, संघ और राज्य सरकारों

के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से तीन आईजीएस अनिवार्य हो गए हैं।

आईजीएस-1-सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: वित्त लेखा की विवरणी 9 एवं 20 में गारंटियों का क्षेत्र-वार तथा वर्ग-वार विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दिया गया है।

सरकार प्रतिबद्ध लेखाकरण का अनुसरण नहीं करती है और प्रतिबद्धताएँ न तो दर्ज की गयी हैं और न हीं प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध देयता स्वीकृत है परंतु वित्त लेखा के परिशिष्ट XII में आगामी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है।

आईजीएस-2-सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरण: सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत मामलों को छोड़कर संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती हैं चाहे इसमें अनुदेयी द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल क्यों न हो। प्राप्त सभी अनुदान राजस्व प्राप्ति के रूप में माने जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के वर्गीकरण एवं लेखाकरण की आवश्यकताओं का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 10 एवं परिशिष्ट-III में दिया गया है। वस्तु के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

आईजीएस-3-सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिम: आई.जी.एस. 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 7 एवं 18 में दिया गया है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/bihar/hi>

